International Journal of Research in Social Sciences
Vol. 8 Issue 8, August 2018,
ISSN: 2249-2496 Impact Factor: 7.081
Journal Homepage: http://www.ijmra.us, Email: editorijmie@gmail.com
Double-Blind Peer Reviewed Refereed Open Access International Journal - Included in the International Serial Directories Indexed & Listed at: Ulrich's Periodicals Directory ©, U.S.A., Open J-Gate as well as in Cabell's Directories of Publishing Opportunities, U.S.A

सशक्तिकरण का राजनीतिक विमर्श तथा मुसलमान

Research Scholar : Mojahedul Islam
University Department of Political Science,
B.R.A.Bihar University, Muzaffarpur

विश्व में, इंडोनेशिया के बाद सबसे अधिक मुस्लिम आबादी भारत में ही रहती है। सरकारी आंकड़ों के अनुसार देश में मुस्लिम आबादी लगभग 15 प्रतिशत है। 2001 की जनगणना के अनुसार भारत में मुसलमानों की जनसंख्या 23 करोड़ 8 लाख के करीब थी। सरकार द्वारा गठित सच्चर कमेटी का अनुमान है कि अगले 4 दशकों में भारत में मुस्लिम आबादी 32 करोड़ तक पहुंच जाएगी। देश में कुछ ऐसे हिस्से हैं जहां मुसलमान 50 प्रतिशत से अधिक है। सच्चर कमेटी ने पूरे देश में ऐसे 90 शहरों की निशानदेही की हैं, जहां मुस्लिम आबादी अच्छी खासी है।

इस प्रकार देखा जाए तो भारत का हर पांचवां नागरिक मुसलमान है। लेकिन अगर आप भारत के मुसलमानों की आर्थिक, सामाजिक, शैक्षणिक और राजनीतिक परिस्थतियों का आकलन करें तो इसमें आपको मायूसी के अलावा कुछ हाथ नहीं आएगा। बेरोजगारी, निम्न स्तर का जीवन, सामाजिक पिछड़ापन और राजनीतिक भटकाव के आंकड़े जमा कर सच्चर कमेटी ने अपनी जो रिपोर्ट सरकार को दी है वह यह साबित करती है की भारतीय मुसलमान इस देश में सबसे अधिक पिछड़े पसमांदा मुसलमानों की एक श्रेणी है। उनकी हालत अति पिछड़ों से भी बदतर है। न्यायाधीश रंगनाथ मिश्र कमिटी की रिपोर्ट में भी न सिर्फ मुस्लिम अल्पसंख्यक के पसमांदा समूह को आरक्षण के दायरे में लाने की बात कहती है बल्कि, पूरे मुस्लिम अल्पसंख्यक को आरक्षण के दायरे में लाने की बात बताती है, क्योंकि इनकी हालत कई स्थानों पे हिन्दू दलितों से भी बदतर है ।

प्रधानमंत्री मनमोहन सिंह के कार्यकाल में नियुक्ति हाई पावर सच्चर कमेटी की रिपोर्ट इस देश के हर नागरिक के लिए आंखें खोलने वाली है। अब तक संघ परिवार के प्रचार के नतीजे में यह समझा जाता रहा है की इस देश में अल्पसंख्यकों की मुंह भराई की जो नीति चल रही है उसके नतीजे में मुसलमान ही सबसे ज्यादा फल फूल रहे हैं। 1991 में भारत के अंदर आर्थिक उदारीकरण का दौर शुरू हुआ। बदलते हुए आर्थिक परिवेश में यह उम्मीद की जाती थी की आर्थिक उदारीकरण की नीति से मुसलमान भी लाभान्वित होंगे और उनके जीवन में कुछ बदलाव आयगा, लेकिन उदारीकरण की इस नीति से मुसलमान भी उतना ही अछूता और मजबूर रहा जितना कि देश की आम जनता और गरीब जनसंख्या। मुसलमान यूं तो आज भी गरीब, लाचार, आम हिंदुस्तानी के कंधे से कंधा मिलाकर अपना दर्द और गम आपस में बांटता हुआ आगे बढ़ रहा है बल्कि उसकी हालत आम आदमी से भी गई गुजरी है। समाज के पिछड़े तबके और अति पिछड़ी जातियां सरकारी नौकरियों और शैक्षणिक संस्थानों में आरक्षण के चलते अपनी हालत सुधारने में कुछ हद तक कामयाब हो रहे हैं। लेकिन मुसलमानों की हालत दिन ब दिन बिगड़ती जा रही है। सरकारी नौकरियों और शिक्षा संस्थानों में उनका प्रतिशत लगातार कम हो रहा है। मुसलमानों की शिक्षा और आर्थिक स्थिति का आंकलन करने वाली रिपोर्टों और सर्वे यह बताता है कि मुसलमान इस देश में सबसे अधिक पिछड़ा और हाशिये पर पड़ा हुआ समुदाय है। किसी भी आर्थिक परिक्षेत्रा में उनकी उपस्थिति 3–4 प्रतिशत से अधिक नहीं है।

1980 में गोपाल सिंह कमीशन ने अपनी रिपोर्ट में यह दिखलाया कि सरकारी नौकरियों में मुसलमानों की सहभागिता उनकी आबादी से बहुत नीचे है। यानि देश में 3.27 प्रतिशत आई.ए.एस., 2.7 प्रतिशता आई.पी. एस., 3.37 प्रतिशत आई.एफ.एस., और केंद्रीय सब आरडिनेट सर्विसेस में केवल 1.56 प्रतिशत मुसलमान हैं। अलबत्ता आई० ए० एस०, परीक्षा

2020 के नतीजों में कुछ हद तक सुधार देखने को मिले हैं । जो कि कुल चयनित आई० ए० एस० का 4–15 प्रतिशत है ।

गोपाल सिंह कमीशन के अलावा अनेक सर्वे रिपोर्ट यही साबित करती रही हैं की मुसलमानों की हालत में कोई बदलाव नहीं आया। हमदर्द एजुकेशन सोसाइटी आदि ने मुसलमानों की आर्थिक और शैक्षणिक स्थिति का पता लगाने के लिए जो सर्वे कराए उनमें भी पिछड़े ऑकड़े की पुष्टि की गई। इस संबंध में सरकार ने जो भी कदम उठाए उनका कोई नतीजा नहीं निकला क्योंकि उन्हें लागू करने में बुनियादी कमियां थीं। इस दौरान सरकार ने प्रधानमंत्री के 15 सूत्री कार्यक्रम, नेशनल माइनार्टिज डेवलपमेंट, फाइनेंशियल कॉरपोरेशन (एन.एम.डी.एफ.सी.), नेशनल माइनार्टिज कमीशन और एंटी राइट्स फोर्स का गठन किया। लेकिन इनसे भी अल्पसंख्यकों की हालत में कोई सुधार नहीं हुआ। महाराष्ट्र के पूर्व मुख्यमंत्री एन.आर. अंतुले ने एक अवसर पर कहा था की आजादी के बाद देश में अल्पसंख्यकों के लिए जितनी भी सुविधाओं और रियायतों का ऐलान किया गया, उनका कोई लाभ अल्पसंख्यकों को नहीं पहुंचा क्योंकि यह सारे ऐलान केवल नारों तक ही सीमित रहे।

मुसलमानों पर आरोप है की वह आजादी के बाद लगातार मुख्यधारा से कटे रहे हैं। यही कारण है की वह आर्थिक और शैक्षणिक क्रांति का लाभ नहीं उठा सके। लेकिन हमें याद रखना होगा की देश के विभाजन के बाद संघ परिवार ने मुसलमानों को लगातार खौफ और अस्थिर हालत में रखा। मुसलमानों के विरुद्ध न केवल कुप्रचार जारी रखा बल्कि जिन शहरों में मुसलमान तरक्की कर सकते थे वहां सांप्रदायिक दंगों के जरिये उनकी कमर तोड़ दी गई। इस दौरान मुसलमान अपने जानो माल की रक्षा पर ही जोर देते रहे और उन्हें अपने आर्थिक एवं शैक्षणिक उत्थान की फुर्सत ही सांप्रदायिक दंगों और नफरत भरे प्रचार ने मुसलमानों की मनोवैज्ञानिक हालत पर विपरीत असर डाला। ये शायद मुसलमानों को मुख्यधारा से अलग थलग रखने की एक सोची समझी साजिश थी, इसीलिए मुसलमानों के सिर पर विभाजन का दोष भी मढ़ दिया गया। जबकि देश के विभाजन का सबसे अधिक नुकसान मुसलमानों को ही उठाना पड़ा। इन हालात में यह संभव ही नहीं था की मुसलमान दिन ब दिन बिगड़ती हुई अपनी आर्थिक और शैक्षणिक स्थिति का आकलन कर पाते।

इस्लाम में सूद के कारोबार को हराम कहा गया है, शायद इसीलिए भी एक लंबे समय तक मुसलमान बैंकिंग से जुड़े कारोबार से भी दूर रहे। हालांकि अब हालात बदल गए हैं और इसके बारे में मुसलमानों की सोच में भी परिवर्तन आया है। देश में गैर सूदी इस्लामी बैंकिंग लागू करने की मांग जोर पकड़ रही है। मुस्लिम सांसदों के एक प्रतिनिधिमंडल ने गत 23 दिसंबर 2009 को प्रधानमंत्री मनमोहन सिंह से भेंट करके उन्हें मुस्लिम समस्याओं पर जो मांगपत्रा सौंपा है उसमें इस्लामी बैंकिंग शुरू करने की अनुमति देने की मांग भी शामिल है।

जस्टिस राजेंद्र सच्चर की अध्यक्षता में बनाई गई कमेटी ने अपनी रिपोर्ट में मुसलमानों की शैक्षणित एवं आर्थिक स्थिति का उल्लेख करते हुए शिक्षा और रोजगार के क्षेत्रा में मुसलमानों के प्रतिनिधित्व पर काफी विस्तार से रोशनी डाली है। शिक्षा के क्षेत्रा में मुसलमानों की स्थिति बयान करते हुए कहा गया है कि 4 प्रतिशत से भी कम मुसलमान स्नातक हैं, जबकि ओ.बी.सी. में यह संख्या 4.5 प्रतिशत है। आमतौर पर यह कहा जाता है की मुसलमान अपने बच्चों को स्कूल के बजाय मदरसों में भेजते हैं इसलिए आधुनिक शिक्षा में वह पिछड़ गए हैं। सच्चर कमेटी ने अपनी इस रिपोर्ट में चौंकाने वाले तथ्य पेश किए हैं। रिपोर्ट का कहना है कि केवल 4 प्रतिशत मुस्लिम बच्चे ही मदरसों में शिक्षा पाते हैं और उसका कारण भी यह है की जिन इलाकों में मुसलमानों की बड़ी आबादी ह, वहां मीलों तक सरकारी स्कूल नहीं हैं और जहां इस तरह के स्कूल मौजूद हैं वहां मुसलमान बच्चे दाखिला नहीं लेते हैं। दूसरे समुदायों के मुकाबले में शिक्षा अधूरी छोड़ने वाले मुसलमान बच्चों की संख्या सबसे अधिक है। इसका कारण उनकी आर्थिक बदहाली है, क्योंकि यह बच्चे घरेलू खर्च पूरा करने के लिए अपने मां बाप का हाथ बंटाने के लिए मजबूर हैं। जहां तक रोजगार का प्रश्न है तो सच्चर कमेटी के अनुसार सरकारी नौकरियों में मुसलमानों का अनुपात 5 प्रतिशत से भी कम है जबकि, वह कुल अबादी का 15 प्रतिशत से अधिक है। पश्चिम बंगाल जैसी बड़ी मुस्लिम आबादी वाले प्रदेश में सरकारी नौकरियों में मुसलमानों का अनुपात लगभग शून्य के बराबर है जबकि, वहां 3 दशकों

तक खुद को मुसलमानों का हितैषी कहने वाली वाम मोर्चा सरकार सत्ता में थी। वर्तमान सरकार भी अपने आपको मुसलमानों की हितैषी कहती हैं लेकिन मुसलमानों की स्थिति ज्यों की त्यों है। यह बात अफसोसजनक है कि खुद को पूरी तरह पंथ निरपेक्ष और अल्पसंख्यकों का हमदर्द बताने वाले राजनीतिक दलों ने मुसलमानों के साथ इंसाफ नहीं किया और वे लगातार जबानी जमा खर्च ही करते रहे।

जहां तक मुसलमानों की आर्थिक स्थिति और खर्च करने की क्षमता का सवाल है तो ऐसे शहरों में जिनकी आबदी 50 हजार से 02 लाख के बीच है मुसलमानों की खर्च करने की ताकत एस.सी.–एस.टी. से भी कम है। विभिन्न सरकारी और आर्थिक संस्थानों से मुसलमानों को मिलने वाले अनुदान का अनुपात 1.9 प्रतिशत के करीब है। इन संस्थानों में काम के बदले अनाज की योजना भी शामिल है । हालांकि यह योजना बेहद गरीब लोगों को भुखमरी से बचाने के लिए शुरू की गई है लेकिन इसमें भी मुसलमानों का हिस्सा 1.9 प्रतिशत से अधिक नहीं है। केवल 2.1 प्रतिशत मुसलमान ऐसे हैं जिनके पास अपना ट्रैक्टर है। सिंचाई के लिए अपना हैंडपंप रखने वाली आबादी केवल एक प्रतिशत है। मुसलमानों की सबसे कम नुमाइंदगी अदालतों में पाई जाती है। राजधानी दिल्ली जहां मुस्लिम आबादी 12 प्रतिशत से अधिक है वहां न्यायालय में काम करने वाले मुसलमानों का अनुपात केवल 1.13 प्रतिशत है। सेशन जजों, चीफ जुडीशीयल मजिस्ट्रेट, प्रिंसिपल, जज और सरकारी वकील न के बराबर हैं। अगर किसी क्षेत्रा में मुसलमान अपनी आबादी के अनुपात से बहुत अधिक संख्या में पाए जाते हैं तो वह है जेलों में कैदियों की आबादी। यही स्थिति अमरीका में काले लोगों की भी है।

दिल्ली में मुसलमान अपनी आबादी से दुगनी संख्या में तिहाड़ जेल में कैद हैं। यही स्थिति गुजरात की भी है, जहां मुस्लिम आबादी 09 प्रतिशत है लेकिन गुजरात की जेलों में 25 प्रतिशत कैदी मुसलमान हैं। सबसे खराब स्थिति महाराष्ट्र की है जहां 32 प्रतिशत कैदी मुसलमान हैं जबकि वहां मुस्लिम आबादी केवल 10 प्रतिशत है।

सरकारी नौकरियों और अन्य क्षेत्राों में मुलसमानों के कम प्रतिनिधित्व का बड़ा कारण शिक्षा के क्षेत्रा में उनका पिछड़ापन है। 2001 की जनगणना के अनुसार मुसलमानों में शिक्षा का अनुपात राष्ट्रीय अनुपात से कम है। यह फर्क देहाती इलाकों के मुकाबले शहरी क्षेत्राों में अधिक है। एस.सी., एस.टी. के मुकाबले में मुसलमानों में शिक्षा का अनुपात कम है। यह भी एक सच्चाई है की 06 से 14 साल की आयु वाले 25 प्रतिशत बच्चे या तो कभी स्कूल नहीं जाते या बीच में पढ़ना छोड़ देते हैं। 25 प्रतिशत स्नातक विद्यार्थियों में से केवल एक और 50 स्नातकोत्तर विद्यार्थियों में से केवल एक बड़े कॉलेजों में प्रवेश लेते हैं। मुस्लिम स्नातकों में बेरोजगारी अधिक है। जहां तक मुस्लिम ओ.बी.सी. का संबंध है तो वे भी दीगर हिंदू ओ.बी.सी. से बहुत नीचे हैं। शायद इसीलिए सच्चर कमेटी ने आरक्षण से मिलने वाले लाभ का उल्लेख करते हुए अपनी रिपोर्ट में कहा है की एस.सी., एस.टी. के लोगों ने इसका काफी लाभ उठाया है। लिहाजा मुसलमानों को भी उनके सामाजिक, आर्थिक और शैक्षणिक पिछड़ेपन के तहत साकारात्मक सुविधायें मिलनी चाहिए।

निष्कर्ष – बिहार में मूस्लिमों की सामाजिक–आर्थिक स्थिति और राजनीतिक प्रतिनिधित्त्व की दशा बहुत ही दयनीय है । मुस्लिम वर्तमान बिहार की आबादी का 16–87 प्रतिशत है (सन 2011 का आंकड़ा) । अविभाजित बिहार कि जनसंख्या में ये 12–5 प्रतिशत थे । मुस्लिम राज्य के सबसे गरीब तबकों में से एक है । 87 प्रतिशत मुस्लिम आबादी गावों में रहती है। अधिकांश मुस्लिम परिवारों के पास बहुत कम भूमि है । प्रायः खेतिहर–मजदूर के रूप में काम करके अपनी जीविका चलाते हैं । सही मायने में बिहार में मुस्लिमों का सामाजिक स्तर पर शोषण होता रहा है। वहीं न कोई औद्योगिक जगत है न ही कोई रोजगार का उचित श्रोत है और प्रत्येक वर्ष बाढ़ की मार झेलनी पड़ती है ।

विभिन्न दलों ने साम्प्रदायिकता का हौव्वा खड़ा कर इनके वोट बैंक का इस्तेमाल अपनी सत्ता को मजबूत करने के लिए निरंतर करते आये हैं। मुस्लिमों के सामाजिक आर्थिक कल्याण के लिए बहुत ही कम कदम उठाये गए। मुस्लिमों को समुचित राजनीतिक प्रतिनिधित्व भी नहीं मिला और न ही

विकास संसाधनों में उचित हिस्सा मिला । मुस्लिमों के साथ हुए सामाजिक अन्याय के दो स्तर हैं दृ पहला मुस्लिमों को उनकी जनसंख्या के हिसाब से बहुत ही कम राजनीतिक प्रतिनिधित्व मिला। राजनीतिक प्रतिनिधित्व कि भांति ही जीवन के दुसरे क्षेत्रों में भी उन्हें कम प्रतिनिधित्व मिला और ये पिछड़े हुए समूह बने रहे। दूसरा– मुस्लिमों को जो भी थोडा बहुत राजनीतिक प्रतिनिधित्व मिला, उस पर ऊंची मुस्लिम (या अशराफ) ने कब्जा जमा लिया और पिछड़ी मुस्लिम जातियों (या अजलाफ) को बहुत कम प्रतिनिधित्व मिला। राजनीतिक क्षेत्र की तरह ही आर्थिक रूप से मजबूत होने के कारण ऊंची मुस्लिम जातियों को ही जीवन के दुसरे क्षेत्र अर्थात शिक्षा, नौकरी आदि में फायदा कुछ हद तक लाभान्वित हुये जोकि न्यायपूर्ण कतई नहीं है।

संदर्भ सूची :–

1. उर्मिलेश, *उदारीकरण और विकास का सच*, अनामिका पब्लिकेशन, नई दिल्ली, 2010, पृ०. 235.
2. अहमद, फरजंद, *"विकल्प की तलाश में"* , इंडिया टुडे, 14 फरवरी, 2005,पृ०.31–32.
3. शर्मा, अलख एन०, *"एग्रोरियन रिलेशंस एंड सोशियो–इकोनोमिक चेंज इन बिहार"*, पूर्व उद्धृत, पृ०. 65–66.
4. फ्रैन्केल, फ्रैन्सिन आर०, *" कास्ट लैण्ड एण्ड डॉमिनेन्स इन बिहार "*, पूर्व उद्धृत, पृ०. 104.
5. सहारा समय , 12 मार्च 2005, पृ०. 34–35.
6. द टाइम्स ऑफ इंडिया, नई दिल्ली, 25 नवम्बर 2005, पृ०. 01.